

19

डिक्की बमुकदमें ईबादाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी  
पौठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 395/2019

1.शारदा पत्नी कृष्ण कुमार पुत्र कालूराम जाति बावरी निवासी 1 BRW तह.टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2.रमेश कुमार } पि0 कृष्ण कुमार नाबालिग जरिये माता शारदा देवी पत्नी कृष्ण कुमार  
3.सुनील } पुत्र कालूराम जाति बावरी निवासी 1 BRW तह.टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1.मीरादेवी पत्नी कालूराम } जाति बावरी निवासी 1 BRW तह.टिब्बी जिला हनुमानगढ।  
2.पुनम पुत्री कृष्ण कुमार }

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि कृष्णलाल के नाम से चकनं0 1 बी आर डबल्यू के खाता सं0 29 में कुल 1.518 है0 कृषि भूमि के वादीगण सं0 1 ता 3 व प्रतिवादीया सं0 2 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार वादीगण व प्रतिवादीयासं0 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में ब0हि0ब0 अंकन कर चकनं0 1 बीआर डबल्यू के खातासं0 29 में से कृष्णलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....  
.....अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18/12/19.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी